

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
अधिसूचना
दिनांक 17 जनवरी, 2013

संख्या सा.का.नि.7/संविध अनु. 309/2013.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप घ) मुख्यालय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

भाग-। सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा
प्रयोज्यता।

1. (1) ये नियम हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप घ) मुख्यालय सेवा नियम, 2012 कहे जा सकते हैं।
(2) निदेशालय के श्रेणी-घ कर्मचारी जिसमें अभियान्त्रिकी शाखा तथा राजीव गांधी, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास, राज्य संस्थान के कर्मचारी भी शामिल हैं, इन नियमों के अधीन शासित होंगे।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
 - (क) “प्रशासनिक सचिव” से अभिप्राय है, प्रशासनिक सचिव विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा;
 - (ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
 - (ग) “निदेशक” से अभिप्राय है, निदेशक विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा;
 - (घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;
 - (ङ) “संस्था” से अभिप्राय है,—
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
 - (च) “संयुक्त निदेशक” से अभिप्राय है, संयुक्त निदेशक विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा;
 - (छ) “चयन समिति” से अभिप्राय है, सरकार द्वारा समय-समय पर गठित कोई समिति ; तथा
 - (ज) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप घ मुख्यालय) सेवा।

भाग—II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद शामिल होंगे; परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित न हो :—
(क) भारत का नागरिक; या
(ख) नेपाल की प्रजा; या
(ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, चयन समिति द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भान्ति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह चयन समिति को आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष से कम अथवा चालीस वर्ष से अधिक आयु का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां, संयुक्त निदेशक द्वारा की जायेगी।

अर्हताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

निरर्हताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,—

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह करने की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

(क) दफ्तरी की दशा में,—

- (i) बावर्ची, सेवादार, चौकीदार, माली तथा स्वीपरों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) जमादार की दशा में,—

- (i) बावर्ची, सेवादार, चौकीदार, माली तथा स्वीपरों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) मशीनमैन की दशा में,—

- (i) बावर्ची, सेवादार, चौकीदार, माली तथा स्वीपरों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) बावर्ची की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ङ) सेवादार की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(च) चौकीदार की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

- (छ) माली की दशा में,—
(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ज) स्वीपर की दशा में,—
(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उप बन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

परिवीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:

परन्तु—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानान्तरण नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानान्तरण के रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि किसी अस्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य का आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह —

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति, सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो, —
(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, —
(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,—

- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति को तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है, कि उसने अपनी परीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग से सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञान करें; या
 - (ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवाओं में विभिन्न संवर्ग हो, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय चयन समिति द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे ; और

- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा :

परन्तु यह और कि इन नियमों में इकट्ठे रखे गये समरूप संवर्ग धारित कर्मचारियों की ज्येष्ठता, जो पूर्व में विभिन्न नियमों के सेट के अधीन शासित थे, इन नियमों के प्रारम्भ से धारित पदों पर उनकी नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड(ii)अथवा(iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों, अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं।

- अनुशासन, शास्तियां तथा अपील। 14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :
- परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।
- टीका लगवाना। 15. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, पुनः टीका लगवाएगा।
- राजनिष्ठा की शपथ। 16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।
- ढील देने की शक्तियां। 17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।
- विशेष उपबन्ध। 18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझें तो वह ऐसा कर सकता है।
- आरक्षण। 19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :
- परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- निरसन तथा व्यावृत्ति। 20. हरियाणा पंचायत विभाग (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1993 तथा हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग, पंचायती राज, (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998 इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं:
- परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क (देखिए नियम 3)					
क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	दफतरी	1	—	1	वेतन बैंड—1 ` 4440—7440+ ग्रेड वेतन`1650
2	जमादार	—	2	2	वेतन बैंड—1 ` 4440—7440+ ग्रेड वेतन`1650
3	मशीनमैन	—	2	2	वेतन बैंड—1 ` 4440—7440+ ग्रेड वेतन`1650
4	बावर्ची		4	4	वेतन बैंड—1 ` 4440—7440+ ग्रेड वेतन`1140
5	सेवादार	9	20	29	वेतन बैंड—1 ` 4440—7440+ ग्रेड वेतन`1300
6	चौकीदार	1	3	4	वेतन बैंड—1 ` 4440—7440+ ग्रेड वेतन`1300
7	माली		3	3	वेतन बैंड—1 ` 4440—7440+ ग्रेड वेतन`1300
8	स्वीपर	1	4	5	वेतन बैंड—1 ` 4440—7440+ग्रेड वेतन `1300

परिशिष्ट ख
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	दफतरी	---	पदोन्नति द्वारा— (i) हिन्दी सहित मिडल पास ; (ii) बावर्ची, सेवादार, चौकीदार, माली, स्वीपर के रूप में तीन वर्ष कर अनुभव । स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) हिन्दी सहित मिडल पास ; (ii) दफतरी के रूप में दो वर्ष कर अनुभव ।
2	जमादार	---	पदोन्नति द्वारा— (i) हिन्दी सहित मिडल पास ; (ii) बावर्ची, सेवादार, चौकीदार, माली, स्वीपर के रूप में तीन वर्ष कर अनुभव । स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) हिन्दी सहित मिडल पास ; (ii) जमादार के रूप में दो वर्ष कर अनुभव ।
3	मशीनमैन	---	पदोन्नति द्वारा— (i) हिन्दी सहित मिडल पास ; (ii) बावर्ची, सेवादार, चौकीदार, माली, स्वीपर के रूप में तीन वर्ष कर अनुभव । स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) हिन्दी सहित मिडल पास ; (ii) मशीनमैन के रूप में दो वर्ष कर अनुभव ।
4	बावर्ची	(i) हिन्दी सहित मिडल पास ; (ii) दो वर्ष का खाना बनाने का अनुभव;	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) हिन्दी सहित मिडल पास ; (ii) बावर्ची के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
5	सेवादर	(i) हिन्दी सहित मिडल पास ;	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) हिन्दी सहित मिडल पास ; (ii) सेवादार के रूप में दो वर्ष कर अनुभव ।
6	चौकीदार	(i) हिन्दी सहित मिडल पास ;	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) हिन्दी सहित मिडल पास ; (ii) चौकीदार के रूप में दो वर्ष कर अनुभव ।
7	माली	(i) हिन्दी सहित मिडल पास ;	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) हिन्दी सहित मिडल पास ; (ii) माली के रूप में दो वर्ष कर अनुभव ।
8	स्वीपर	(i) हिन्दी सहित मिडल पास ;	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) हिन्दी सहित मिडल पास ; (ii) स्वीपर के रूप में दो वर्ष कर अनुभव ।

परिशिष्ट ग
[(देखिए नियम 14(1))]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1 2. 3. 4 5 6 7 8	दफतरी जमादार मशीनमैन बावर्ची सेवादार चौकीदार माली स्वीपर	संयुक्त निदेशक	I छोटी शास्तियां (i) वैयक्तिक फाईल, (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई किसी धन सम्बन्धी पूरी हानि या उसके भाग की वेतन से वसूली; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना; II बड़ी शास्तियाँ (vi) संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समय—मान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी	संयुक्त निदेशक	निदेशक	प्रशासनिक सचिव

			<p>ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;</p> <p>(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकार कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद या सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा;</p> <p>(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;</p> <p>(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी; तथा</p> <p>(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।</p>			
--	--	--	---	--	--	--

परिशिष्ट घ [(देखिए नियम 14 (2))]					
क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1 2. 3. 4 5 6 7 8	दफतरी जमादार मशीनमैन बावर्ची सेवादार चौकीदार माली स्वीपर	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) उसकी अधिवार्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	संयुक्त निदेशक	निदेशक	प्रशासनिक सचिव

(राम निवास)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग

**HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT
Notification**

The 17th January, 2013

No. GSR 7/Const./Art-309/2013. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Development and Panchayats Department (Group D) Head Office Service, namely :-

**PART-I
GENERAL**

Short title
and
applicability

1. (1) These rules may be called the Haryana Development and Panchayats Department (Group D) Head Office Service Rules, 2012; and
- (2) Group 'D' employees of Directorate including the employees of Engineering Wing and Rajiv Gandhi State Institute of Panchayati Raj and Community Development shall be governed under these rules.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Administrative Secretary" means the Administrative Secretary, Development and Panchayats Department, Haryana;
- (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (c) "Director" means the Director, Development and Panchayats Department, Haryana;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department.
- (e) "institution" means, -
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or
 - (ii) any other institution recognized by Government for the purposes of these rules;
- (f) "Joint Director" means the Joint Director, Development and Panchayats Department, Haryana;
- (g) "Selection Committee" means a committee constituted by the Government from time to time;
- (h) "Service" means the Haryana Development and Panchayats Department, (Group D) Head Office Service.

PART-II RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of the posts.	<p>3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :</p> <p>Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.</p>
Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.	<p>4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is, -</p> <p>(a) a citizen of India ; or</p> <p>(b) a subject of Nepal ; or</p> <p>(c) a subject of Bhutan :</p> <p>Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.</p> <p>(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Committee, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by Government of India.</p> <p>(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.</p>
Age.	<p>5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than forty years of age, on the last date of submission of application to the Committee.</p>
Appointing authority.	<p>6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Joint Director.</p>
Qualifications.	<p>7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person appointed otherwise than by direct recruitment.</p>
Disqualifications.	<p>8. No person, -</p> <p>(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or</p> <p>(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,</p> <p>shall be eligible for appointment to any post in the Service.</p> <p>Provided that Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.</p>

HARYANA GOVT. GAX., JAN. 22, 2013
(MAGH. 2, 1934 SAKA)

Method of
recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,-

(a) in case of Daftri,-

- (i) by promotion from amongst Cooks, Peons, Chowkidars, Malis and Sweepers; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in case of Jamadar,-

- (i) by promotion from amongst Cooks, Peons, Chowkidars, Malis and Sweepers; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) in case of Machineman,-

- (i) by promotion from amongst Cooks, Peons, Chowkidars, Malis and Sweepers; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(d) in case of Cook,-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(e) in case of peon,-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(f) in case of Chowkidar,-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(g) in case of Mali,-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(h) in case of Sweeper,-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotion.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that –

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

HARYANA GOVT. GAX., JAN. 22, 2013
(MAGH. 2, 1934 SAKA)

- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may, -

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment -
 - (i) revert him to his former post ; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may -

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, –
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or
- (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory, –
 - (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any shall not exceed three years.

Seniority. 11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadres:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Committee shall not be disturbed in fixing the seniority:

HARYANA GOVT. GAX., JAN. 22, 2013
(MAGH. 2, 1934 SAKA)

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows : -

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member:

Provided further that the seniority of employees holding identical cadres put together in these rules, earlier governed under different sets of rules, shall be determined from the date of their appointment to the post held on the commencement of these rules.

Liability to
serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under -

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve under the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave,
pension and
other
matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service, shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any other law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline,
penalties
and appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, member of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

HARYANA GOVT. GAX., JAN. 22, 2013
(MAGH. 2, 1934 SAKA)

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination. 15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when Government directs by a special or a general order.

Oath of allegiance. 16. Every member of Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation. 17. Where the government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision. 18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations. 19. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time:

Provided that the total percentage of reservations, so made, shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings. 20. The Haryana Panchayat Department (Group D) Service Rules, 1993 and Haryana Development and Panchayats Department Panchayati Raj (Group D) Service Rules, 1998 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

HARYANA GOVT. GAX., JAN. 22, 2013
(MAGH. 2, 1934 SAKA)

APPENDIX A
[See rule 3]

Serial Number	Designation of post	Number of posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Daftri	1	-	1	Pay Band-1 ` 4440-7440+ Grade Pay ` 1650
2	Jamadar	-	2	2	Pay Band-1 ` 4440-7440+ Grade Pay ` 1650
3	Machineman	-	1	1	Pay Band-1 ` 4440-7440+ Grade Pay ` 1650
4.	Cook	-	4	4	Pay Band-1 ` 4440-7440+ Grade Pay ` 1400
5.	Peon	9	20	29	Pay Band-1 ` 4440-7440+ Grade Pay ` 1300
6.	Chowkidar	1	3	4	Pay Band-1 ` 4440-7440+ Grade Pay ` 1300
7	Mali	-	3	3	Pay Band-1 ` 4440-7440+ Grade Pay ` 1300
8	Sweeper	1	4	5	Pay Band-1 ` 4440-7440+ Grade Pay ` 1300

APPENDIX B

(See rule 7)

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications Experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Daftri	-	By Promotion (i) Middle pass with Hindi; (ii) Three years experience as Cook, Peon, Chowkidar, Mali and Sweeper. By Transfer or Deputation – (i) Middle Pass with Hindi; (ii) Two years experience as Daftri.
2	Jamadar	-	By Promotion (i) Middle pass with Hindi; (ii) Three years experience as Cook, Peon, Chowkidar, Mali and Sweeper. By Transfer or Deputation – (i) Middle pass with Hindi; (ii) Two years experience as Jamadar.
3	Machineman	-	By Promotion (i) Middle pass with Hindi; (ii) Three years experience as Cook, Peon, Chowkidar, Mali and Sweeper. By Transfer or Deputation – (i) Middle pass with Hindi; (ii) Two years experience as Machineman.
4.	Cook	(i) Middle pass with Hindi; (ii) Two years experience of cooking;	By Transfer or Deputation- (i) Middle pass with Hindi; (ii) Two years experience as Cook.
5.	Peon	(i) Middle pass with Hindi;	By Transfer or Deputation – (i) Middle Pass with Hindi; (ii) Two years experience as Peon.
6.	Chowkidar	(i) Middle Pass with Hindi;	By Transfer or Deputation – (i) Middle pass with Hindi; (ii) Two years experience as Chowkidar.
7.	Mali	Middle pass with Hindi;	By Transfer or Deputation- (i) Middle pass with Hindi; (ii) Two years experience as Mali.
8.	Sweeper	(i) Middle pass with Hindi;	By Transfer or Deputation – (i) Middle pass with Hindi; (ii) Two years experience as Sweeper.

APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Serial Num- ber	Designation of Posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose Penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any.
1	2	3	4	5	6	7
1	Daftri	Joint Director	MINOR PENALTIES: (i) warning with a copy on the personal file (character roll); (ii) censure; (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individual whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority of university set up by an Act of Parliament or the Legislature of a State; and (v) withholding of increments of pay without cumulative effect; MAJOR PENALTIES: (vi) withholding of increments of pay with cumulative effect; (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increment of pay during the period of such reduction and whether or the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay; (viii) reduction to a lower	Joint Director	Director	Administrative Secretary
2	Jamadar					
3	Machine man					
4	Cook					
5	Peon					
6	Chowkidar					
7.						
8	Mali Sweeper					

HARYANA GOVT. GAX., JAN. 22, 2013
(MAGH. 2, 1934 SAKA)

			<p>scale of pay grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further direction regarding conditions of restoration to the grade, post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;</p> <p>(ix) compulsory retirement;</p> <p>(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;</p> <p>(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under Government</p>			
--	--	--	---	--	--	--

APPENDIX D

[See rule 14 (2)]

Serial Num- ber	Designation of Posts	Nature of order	Authority empower ed to make the order	Appellate authority	Second Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1	Daftri	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) terminating the appointment of a member of service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Joint Director	Director	Administrative Secretary
2	Jamadar				
3	Machineman				
4	Cook				
5	Peon				
6	Chowkidar				
7	Mali				
8	Sweeper				

RAM NIWAS,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department